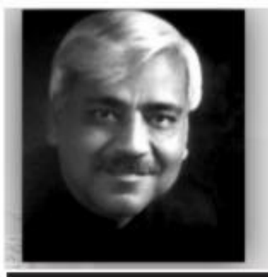

तीरंदाज

■ अश्विनी भटनागर

बाहरी बनाम भीतरी हकीकत

ऐसा कहा जाता है कि राजनीति और उससे जुड़े सार्वजनिक संभाषण में वैकल्पिक सत्य हावी होते जा रहे हैं। अमेरिका में इसे पोस्ट ट्रुथ कहा जाने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की वजह से यह लफ्ज ईजाद हुआ और फिर वहां के राजनीतिक संदर्भों में इसका उपयोग खूब हो रहा है। माना जाता है कि ट्रंप के वैकल्पिक सत्य उनके पीछे एक बुरे साये की तरह इस तरह से पड़ गए हैं कि उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप महाभियोग की कार्यवाही से विचलित जरूर हैं, पर वे मानने को तैयार नहीं हैं कि उनका नजरिया और उससे जुड़े तथ्य त्रुटिपूर्ण और लोगों के तथ्यों से भिन्न हैं। उनका व्यक्तिगत यथार्थ ही उनके लिए अंतिम सच है।

ट्रंप और उन जैसे वैश्विक नेताओं की वैकल्पिक तथ्यों पर अड़े रहने की जिद राजनीति के क्षेत्र में रोचक वाद-विवाद का विषय तो है ही, पर उसने विज्ञान को भी आकर्षित कर लिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसा सामाजिक चलन है, जिसका अध्ययन बारीकी से किया जाना चाहिए। कुछ शोध हुआ भी है और उसके परिणाम बेहद दिलचस्प हैं। इन शुरुआती प्रयासों से पता चलता है कि ट्रंप जैसे नेताओं का पोस्ट ट्रुथ आधारित जन-संवाद वास्तविक सत्य या फिर ब्रह्मांड में निहित सत्य से बहुत परे नहीं है। ब्रह्मांड में भी पैरेलल यूनिवर्स है- एक-दो नहीं, बल्कि हजारों-लाखों। दर्शनशास्त्र का तत्त्व-ज्ञान इन्हीं वैकल्पिक सत्यों की तरफ हमें मुखातिब करता है, हालांकि उसका संदर्भ समकालीन राजनीतिक क्रिया और संवाद नहीं है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य तीन स्थितियों से गुजर सकता है और उसके तथ्य, जिन पर उसका सत्य आधारित है वे वैकल्पिक, व्यक्तिपरक या वस्तुगत हो सकते हैं, और होते भी हैं।

वैज्ञानिक विधि के अनुसार तथ्य वही है, जो कि ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और रिपीटेबिलिटी के मानक पर खरा उतरे। उनका वस्तुनिष्ठ होना बेहद जरूरी है। यानी हर स्थिति में जो भी प्रेक्षक हो, उसको वही नतीजा मिले, जो अगले प्रेक्षक/ समीक्षक को मिलेगा। यह एक ऑब्जेक्टिव मेथड है- वस्तुगत तरीका है। विज्ञान इस तरीके पर आधारित है। पर क्वांटम फिजिक्स ने इस पर पुनः विचार करने के लिए एक प्रयोग किया है।

साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार एटम्स और पार्टिकल्स की माइक्रो दुनिया में क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियम उभर कर सामने आते हैं, जिनके अनुसार दो अलग-अलग प्रेक्षकों को एक ही चीज के बारे में अलग-अलग तथ्यों का स्वत्वाधिकार है। इस पर्यवेक्षण का सीधा मतलब यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स (जो क्वांटम फिजिक्स से निकलती है) के नियमों के अनुसार, उनमें बिना छेड़छाड़ किए, यह कहा जा सकता है कि तथ्य व्यक्तिपरक होते हैं, न कि वस्तुपरक- वे सब्जेक्टिव होते हैं न कि ऑब्जेक्टिव। क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआती जांच यह बताती है कि व्यक्तिपरक तथ्य वास्तव में ब्रह्म प्रकृति में निहित हैं और मानव प्रकृति महज उनको उजागर करती है।

> व्यक्तिपरक यथार्थ उतना ही वैध है, जितना कि वस्तुगत यथार्थ। और अगर ऐसा है, तो हमारे जीवन में वैकल्पिक तथ्यों की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इससे सार्वजनिक संभाषण के मतलब और संदर्भ भी बदल जाते हैं।

इस बात को पूरा समझने के लिए हम एक पल के लिए क्वांटम संसार में झांक लेते हैं। प्रेक्षक इस दुनिया का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पार्टिकल्स या कण एक समय में कई जगह और स्थितियों में हो सकते हैं। इसको सुपरपोजीशन कहते हैं। रोचक बात यह है कि सुपरपोजीशन में हम उनका निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो पार्टिकल नैनो सेकंड में किसी जगह (लोकेशन) या स्थिति (स्टेट) को पकड़ लेता है और सुपर पोजीशन खत्म हो जाती है। ब्रह्म प्रकृति के इस व्यवहार का शोध वैज्ञानिक अच्छी तरह से कर चुके हैं।

फिजिक्स के प्रख्यात विद्वान यूजीन विगनर ने इस संदर्भ में एक चर्चित प्रयोग किया था। वे जानना चाहते थे कि सुपरपोजिशन के वक्त क्या होता है। इस प्रयोग में एक प्रयोगशाला में एक व्यक्ति क्वांटम सिक्का उछालता है, जिसमें सुपरपोजीशन में चित्त और पट्ट दोनों हैं। जितनी बार वह व्यक्ति सिक्का उछालता है, उतनी बार उसका एक निश्चित परिणाम आता है- चित्त या पट। इससे वह व्यक्ति एक तथ्य पता कर लेता है- सिक्का जब उछलेगा तो वह हेड या टेल पर गिरेगा।

जिसके हाथ में सिक्का है उसके पास यह तथ्य आ गया है, पर दूसरा व्यक्ति जो कि प्रयोगशाला के बाहर से शीशे की खिड़की से सिक्का उछालना देख रहा है, उसका तथ्य अलग होगा। विगनर के मुताबिक जो बाहर से देख रहा होगा और उसे क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार सिक्के वाले व्यक्ति की क्रिया का वर्णन सुपरपोजीशन के हर नतीजे के अनुसार करना होगा। उस दूसरे व्यक्ति के लिए सिक्का और उछालने वाला व्यक्ति आपस में अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं और अगर वह एक (यानी सिक्के) से छेड़छाड़ करता है, तो दूसरे (यानी उछालने वाले) से स्वयं ही छेड़छाड़ हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से मूलभूत रूप से उलझे हुए हैं- इंटेंगल है। साथ ही जब दोनों व्यक्ति आपस में सिक्का उछालने की क्रिया और उसके परिणाम पर बात करेंगे, तो उनके तथ्य अलग-अलग होंगे और उनके निष्कर्ष भी।

यह प्रयोग अपने साथ एक प्रहेलिका उत्पन्न करता है। एक ही क्रिया के दो अलग तथ्य कैसे हो सकते हैं और वह भी जिनकी साधारण रूप से वैज्ञानिक परख हो सकती है? यह थॉट एक्सपेरिमेंट हमें अपनी सच्चाई की ओर गौर से देखने को उकसाता है। क्या वास्तव में वैकल्पिक तथ्य व्यक्तिपरक तथ्य का दूसरा नाम है, जिससे अभी तक हम अभिनिज्ञ थे और क्या वस्तुपरक यथार्थ (ऑब्जेक्टिव रियलिटी) उतना जरूरी नहीं है, जितना हम आज तक समझते थे? व्यक्तिपरक यथार्थ उतना ही वैध है, जितना कि वस्तुगत यथार्थ। और अगर ऐसा है, तो हमारे जीवन में वैकल्पिक तथ्यों की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इससे सार्वजनिक संभाषण के मतलब और संदर्भ भी बदल जाते हैं। ट्रंप जैसे नेता अचानक नायक बन जाते हैं, जो हमको अपनी ही वैकल्पिक वास्तविकता का शीशा दिखा कर मुंह चिढ़ा रहे हैं।

उपेक्षित बाल अधिकार

राजू पांडेय

बाल अधिकार वयस्कों के अधिकारों से पृथक होते हैं। इन्हें चार भागों में बांटा गया है- जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार। इस वर्ष बच्चों की दशा पर विश्वव्यापी चर्चा तब शुरू हुई, जब अक्तूबर में यूनिसेफ द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की गई, जो बच्चों के पोषण के विषय में यूनिसेफ द्वारा पिछले बीस वर्षों में तैयार की गई अपने ढंग की पहली रिपोर्ट थी। यूनिसेफ की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि दुनिया में पांच वर्ष से कम आयु का हर तीसरा बच्चा या तो अल्पपोषित या अधिक वजन वाला है। विश्व में ऐसे बच्चों की संख्या बीस करोड़ है। पूरे विश्व में 14.9 करोड़ बच्चे उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई वाले हैं, जबकि पांच करोड़ बच्चे लंबाई के अनुसार कम वजन वाले हैं। दुनिया के चौंतीस करोड़ बच्चे (दुनिया का लगभग हर दूसरा बच्चा) विटामिन और सूक्ष्म तथा मुख्य पोषक तत्वों की कमी से ग्रस्त हैं। जबकि दुनिया के चार करोड़ बच्चे मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं।

भारत में पांच वर्ष से कम आयु का हर दूसरा बच्चा किसी न किसी प्रकार के कुपोषण का शिकार है। अगर कम ऊंचाई, कम या अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या को आधार बनाया जाए, तो चौवन प्रतिशत की संख्या के साथ भारत दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर है। जबकि अफगानिस्तान (49 प्रतिशत) और बांग्लादेश (46 प्रतिशत) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। श्रीलंका (28 प्रतिशत) और मालदीव (32 प्रतिशत) बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में हैं। पांच वर्ष से कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले बच्चों की संख्या के मामले में भी भारत आठ लाख बयासी हजार से अधिक मौतों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि नाइजीरिया, पाकिस्तान और कांगो का स्थान भारत के बाद आता है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर तीन में से दो बच्चे कम आहार और गलत खाद्य आदतों के कारण अल्पपोषण और कुपोषण जन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनके मस्तिष्क का विकास समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। इनके सीखने की क्षमता कम हो रही है। इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी चिंताजनक रूप से घट रही है। ये संक्रमण से ग्रस्त हो रहे हैं। बहुत सारे मामलों इनकी मृत्यु तक हो रही है। हमारे दो वर्ष से कम आयु के केवल दस फीसद बच्चे न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त कर पाते हैं। भारत की हर दूसरी महिला खून की कमी की शिकार है। यद्यपि एनीमिया मुक्त भारत अभियान को विश्व भर में सराहना मिली है, पर जब हमें ज्ञात होता है कि पांच वर्ष से कम आयु के अधिकांश बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं और किशोरियों के एनीमिया से ग्रस्त होने की दर किशोरों की तुलना में दुगनी है, तो जाहिर है कि अभी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है।

भारत सरकार के महत्त्वाकांक्षी पोषण अभियान के लिए वर्ष 2018 से 2022 की अवधि के लिए नौ हजार करोड़ रुपए घोषित हैं और सरकार इससे 2022 तक कुपोषण मिटाने का दावा कर रही है। पर ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार से स्थिति के आकलन में कहीं न कहीं गंभीर चूक हो रही है। हमारी शिशु मृत्यु दर 2017 में तैंतीस प्रति हजार थी, जो अब भी वैश्विक औसत उनतीस प्रति हजार से अधिक है। 2016 में समुचित इलाज मिलने पर आसानी से ठीक हो सकने वाली निमोनिया और डायरिया जैसी बीमारियों से तीन लाख बच्चों की मौत हुई।

विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा यूनिसेफ इंडिया के प्रमुखों ने यह तथ्य रेखांकित किया है कि वैश्वीकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप लोग डिब्बाबंद खाद्य की ओर आकर्षित हुए हैं तथा पारंपरिक भोजन और मौसमी फलों, सब्जियों तथा अनाजों के सेवन की प्रवृत्ति बहुत घट गई है। इस कारण मोटापे की शिकायत बढ़ी है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था ने आर्थिक असमानता को बहुत तेजी से बढ़ाया है और यह देखना दुखद है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फास्ट फूड आउटलेट्स तो हर स्थान पर दिख जाते हैं, पर अभावग्रस्त और निर्धन बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की कोई ठोस, व्यापक, स्थायी और निरंतर व्यवस्था दिखाई नहीं देती। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर कहती हैं कि पिछले दशकों में हुए तमाम तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के बावजूद हम इस बुनियादी तथ्य को अनदेखा कर रहे हैं कि अगर बच्चों का भोजन ठीक नहीं होगा तो उनका जीवन भी अच्छा नहीं होगा।

बाल श्रम समाज में प्रचलित वह भयानक बुराई है, जो बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए उत्तरदायी है। यह उनकी संभावनाओं को नष्ट करने वाला, उनकी गरिमा के खिलाफ और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को घोर नुकसान पहुंचाने वाला है। बालश्रम के अनेक रूप न केवल अमानवीय, बल्कि अबोध बालक बालिकाओं को अपराध के दलदल में धकेलने वाले भी हैं। बाल वेश्यावृत्ति, नशे के कारोबार के लिए बच्चों का उपयोग, जबरन भीख मांगने को विवश करना तथा उनसे चोरी, जेबकतरी तथा अन्य आपराधिक कार्य कराना जारी है।

संदर्भ

> बाल श्रम समाज में प्रचलित वह भयानक बुराई है, जो बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए उत्तरदायी है। यह उनकी संभावनाओं को नष्ट करने वाला, उनकी गरिमा के खिलाफ और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को घोर नुकसान पहुंचाने वाला है।

आईएलओ के 2016 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में पांच से सत्रह वर्ष आयु वर्ग के 15.2 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जिनमें से 2.38 करोड़ बाल श्रमिक भारत में हैं। यानी दुनिया का हर छठवां बाल श्रमिक भारत से है। भारत के अस्सी प्रतिशत बाल श्रमिक गांवों से हैं और इनमें से अधिकांश कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। जनगणना के आंकड़ों का चाइल्ड राइट्स फॉर यू द्वारा किया गया यह विश्लेषण चौंकाने वाला खुलासा करता है कि साल में छह माह से ज्यादा काम करने वाले सात से चौदह वर्ष आयु वर्ग के चौदह लाख बाल श्रमिक ऐसे हैं, जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते। जबकि साल में छह माह से कम काम कर अपने परिवार को सहयोग प्रदान करने वाले बीस लाख बच्चों को पढ़ाई या तो अधूरी छोड़नी पड़ी है या अच्छी शिक्षा से वंचित होना पड़ा है। अधिकांश बाल श्रमिक अशिक्षित ही रह जाते हैं।

सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में पांच से छह वर्ष आयु वर्ग के करीब 8.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, जो आर्थिक अभाव के कारण स्कूल नहीं जा पाते, जबकि अठहत्तर लाख बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ आजीविका चलाने के लिए काम भी करना पड़ता है। विकसित देशों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा राज्य द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाती है, इसलिए वहां के नागरिक निजी शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों का उपयोग कम ही करते हैं। पर भारत में प्राइवेट स्कूलों द्वारा संचालित शिक्षा उद्योग शिक्षा को आम बच्चों की पहुंच से दूर ले जा रहा है।

बाल अधिकारों का लाभ बच्चों को तभी मिल सकता है जब केवल अत्याचार पीड़ित और समस्याग्रस्त मानने के स्थान पर उन्हें मानवाधिकार रखने वाली स्वतंत्र इकाई के रूप में देखा जाए और उनकी गरिमा की रक्षा की जाए तथा उनकी शारीरिक और मानसिक संपूर्णता का सम्मान किया जाए। जब हम बच्चों की समस्याओं के निराकरण की योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में इन बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तभी कोई स्थायी और सार्थक समाधान प्राप्त हो सकेगा।

विपक्ष की जगह

बहुत दिनों बाद राहुल गांधी के बारे में लिख रही हूं। लोकसभा में हार का सामना कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के लिए इतना कठिन रहा है कि हर दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। कभी मालूम पड़ता है कि बैंकॉक चले गए हैं आराम करने, तो कभी किसी विदेशी योगाश्रम में ध्यान की विद्या सीखने गए हैं। सोशल मीडिया पर भी कम दिखते हैं आजकल, और महाराष्ट्र में जो हाल में राजनीतिक तमाशा देखने को मिला, उसमें भी अनुपस्थित रहे हैं। मुझे विश्वास होने लगा था कि वास्तव में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। आज अगर लिख रही हूं नेहरू-गांधी परिवार के इस वारिस के बारे में तो इसलिए कि पिछले हफ्ते दिल्ली में कुछ वरिष्ठ कांग्रेस राजनेताओं से मुलाकात हुई मेरी और उन्होंने बताया कि जल्दी ही वापस आने वाले हैं राहुल अपनी विरासत संभालने। क्या मतलब, मैंने पूछा, क्या फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले हैं? उन्होंने बताया कि उनकी माताजी की यही इच्छा है।

इस बात को हजम कर ही रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की याद दिला दी। एक बार नहीं, दो बार। पहले रफाल सौदे की सारी याचिकाएं खारिज करके और दूसरी बार राहुल गांधी को फटकार लगा कर। याद होगा आपको कि लोकसभा चुनावों की सरगर्मी इतनी सिर चढ़ी थी राहुल गांधी के कि अपने एक भाषण में उन्होंने कह डाला कि सर्वोच्च न्यायालय मानता है कि 'चौकीदार चोर है' यानी नरेंद्र मोदी भ्रष्ट हैं। झूठ बोल रहे थे राहुल गांधी, सो भारतीय जनता पार्टी ने फौरन अदालत के दरवाजे खटकाए और लग गया उन पर अवमानना का मामला। पिछले हफ्ते न्यायाधीशों ने राहुल गांधी को दंडित नहीं किया, लेकिन सावधान जरूर किया कि इस तरह झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है बड़े राजनेताओं के लिए।

अच्छा होता अगर इस बात को राहुल गांधी चुनाव अभियान के शुरू होते ही समझ गए होते। इतना विश्वास था उनको अपने सलाहकारों पर कि 'चौकीदार चोर है' को उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में अपने प्रचार का सबसे अहम नारा बना दिया। अपनी हर जनसभा में इस नारे को चिल्लाते रहे जोर-जोर से बिना एक बार सोचे कि मोदी पर इस तरह का इल्जाम टिकाना आसान नहीं था। मेरा मानना है कि इस इल्जाम से राहुल खुद बदनाम हुए इतना कि उनकी अन्य बातों पर भी मतदाता विश्वास नहीं कर सके और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बन जाने का मौका दे दिया।

समस्या यह है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की उतनी ही जरूरत है, जितनी विपक्ष की और विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा सकती है। सो, बहुत जरूरी है कि हमारी यह सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने आप को पुनर्जीवित करने में सफल जो जाए। मोदी पर बेशक चोरी करने का आरोप टिकाना मुश्किल है, लेकिन उनकी सरकर की नाकामियां कई और हैं। जिनमें सबसे ज्यादा देश का नुकसान हो रहा है आर्थिक तौर पर। दोबारा सरकार बनाने के बाद मोदी का पहला बजट इतना कमजोर था कि अर्थव्यवस्था में मंदी के बादल और घने हो गए। इसको देख कर वित्तमंत्री ने बजट में किए गए कई फैसले रद्द कर दिए हैं। आश्वासन भी दिया है कई बार कि वे चाहती हैं कि लाखों भारतीय जल्दी अति-अमीर वाली श्रेणी में दाखिल जो जाएं। लेकिन मंदी अभी तक वैसी की वैसी है।

कांग्रेस पार्टी अगर पूरी तरह विपक्ष की भूमिका निभा रही होती तो आर्थिक नीतियों को लेकर रोज मोदी सरकार को आड़े हाथों लेने का काम कर रही होती। राहुल गांधी किसानों के बुरे हाल का जिक्र तो करते हैं, लेकिन कभी बताते नहीं हैं कि वे अगर सत्ता में होते तो कौन-से कदम उठाते किसानों की समस्याओं का हल ढूंढ़ने के लिए। बेरोजगारी की भी बातें करते हैं, लेकिन इसको भी सिर्फ एक नारा बना कर। नतीजा यह कि बेरोजगार नौजवान भी मोदी से अपनी सारी उम्मीदें बांधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में इतनी मायूसी छाई रही है लोकसभा चुनाव हारने के बाद कि महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभाओं में लड़ने से पहले ही हथियार डालते दिखे। इन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर मिली है, तो सिर्फ इसलिए कि शरद पवार और भूपेंद्र हुड्डा जैसे स्थानीय राजनेताओं ने जी-जान से लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी पीछे ही रही दोनों जगह।

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

> समस्या यह है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की उतनी ही जरूरत है, जितनी विपक्ष की, और विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा सकती है। सो, बहुत जरूरी है कि हमारी यह सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने आप को पुनर्जीवित करने में सफल जो जाए।

समस्या यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जब तक कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित नहीं होती, तब तक ऐसा लगता रहेगा कि मोदी को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। मोदी तो दुबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना तकरीबन सारा समय विदेश यात्राओं में व्यस्त रहे हैं, सो शायद उनका ध्यान अपने मंत्रियों के बर्ताव की तरफ नहीं गया है। शायद उन्होंने देखा नहीं है कि इनमें कितना अहंकार दिखने लगा है। जब भी टीवी पर आते हैं ये लोग तो ऐसे पेश आते हैं जैसे कि जनप्रतिनिधि नहीं, राजा-महाराजा हों। पिछले हफ्ते कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के तेवर देखने लायक थे। जिस दिन रफाल सौदे पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया उस दिन ये टीवी पर दिखे धमकाने वाले अंदाज में राहुल गांधी को डांट लगाते हुए। 'देश से माफी मांगनी होगी राहुल गांधी को' उन्होंने कहा गुर्रा कर, बिल्कुल वैसे जैसे हिंदी फिल्मों में खलनायक बोलते हैं।

अफसोस कि ऐसा अहंकार आजकल मोदी के हर मंत्री में दिखने लगा है। ऐसे पेश आते हैं जैसे कि चुनाव क्या जीते हैं, देश के मालिक बन गए हों। इस अहंकार को तोड़ना जरूरी है और यह काम राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को सख्त जरूरत है असली नेतृत्व की। एक वारिस की नहीं।

पारदर्शिता की जय

सबसे उत्तेजक कवरेज अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रहे। कुछ दिन के लिए कुछ हिंदी चैनल तो सीधे 'राममय' हो गए। कुछ ने अपने को एक प्रकार के मंदिर में ही बदल लिया। देर तक रिकार्डेड राम भजन सुनवाते रहे। कुछ 'भक्ति चैनलों' जैसे वीडियो दिखाते रहे। कुछ यू-ट्यूब के भजनों को पेश करते रहे।

पहले नौ नवंबर की उस सुबह सारे चैनलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी-अपनी हीरोइक्स दिखाकर लाइव कवर किया कि हमी दे रहे हैं, हमी ब्रेक कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर!

अदालत के अंदर का लाइव दिखाने की इजाजत नहीं, सो कलाकार के बनाए चित्र ही दिखाते रहे कि किस क्रम से उपस्थित पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह 'युग प्रवर्तक' और 'चमत्कारी' फैसला दिया है।

सब एंकरों के रिपोर्टरों के कुछ चर्चकों को छोड़ बाकी चर्चकों के चेहरों पर परम संतोष दैदीप्यमान नजर आता था। ऐसे अवसरों पर 'एक लाइन' वाले कमेंटों की झड़ी लग जाया करती है। कोई कहता कि चार सौ साल पुराना विवाद निपटा, कोई बताता कि एक सौ चालीस बरस पुराना झगड़ा शांति से सुलझा। कोई कहता कि यह न्याय की जीत हुई। कोई इसका श्रेय जजों की उच्च कोटि की न्याय-बुद्धि को देता, तो कोई रामभक्तों को देता, लेकिन सब एक 'विशेषक वाक्य' अवश्य जोड़ते कि यह न किसी की जीत है न किसी की हार है, बल्कि यह न्याय की जीत है। यही बात पीएम ने कही, ऐसी ही बात संघ प्रमुख भागवत ने कही कि इसे जय पराजय की तरह नहीं देखा जाना चाहिए!

कई चैनल सुप्रीम कोर्ट के परिसर से लाइव कवर कर रहे थे, तो कई अयोध्या से लाइव कवर दे रहे थे। अयोध्या के ज्यादातर सीन भगवा-वस्त्रधारी बाबाओं और स्वामियों से सजे नजर आते थे। वे सभी उल्लसित दिखते, फिर 'संभल कर' बोलते दिखते। मंदिर वहीं बनेगा, जहां बनना था, ऐसे फैसले को देख कौन भक्त पुलकित न होता? कैमरे बार-बार राम मंदिर के लिए तराशे जाते पत्थरों को एकदम 'क्लोज' में ईटों पर 'श्रीराम' लिखा दिखाते। जहां रामलला विराजमान हैं उसे लांगशॉट में दिखाते। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्तों के बारे में बताते। मस्जिद को पांच एकड़ जमीन देने पर किसी ने एतराज न किया। 'मस्जिद बने तो बने', यह भाव रहा। परम उल्लसित रामदेव ने कहा कि वे मंदिर और मस्जिद दोनों को बनाने में योगदान देना चाहेंगे।

लगभग सभी दलों ने फैसले का स्वागत ही किया। कुछ ने कुछ किंतु परंतु लगाए, लेकिन प्रमुख सुर स्वागत का ही रहा। सिर्फ मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिलानी ने चैनलों से कहा कि शरीअत के हिसाब से मस्जिद की जमीन किसी और को नहीं दी जा सकती। अदालत ने हमारी जमीन दूसरों को दी, यह ठीक नहीं। हम जरूर अपील करेंगे। उधर ओवैसी कुछ अधिक तिक्त स्वर में बोले कि मस्जिद के लिए खैरात नहीं मांग रहे हैं। हमें भीख नहीं चाहिए।

शाम तक चैनलों में बहसें जम चुकी थीं। एक अंग्रेजी बहस में एक पत्रकार ने दर्द के साथ कहा कि अब हम थक गए हैं, बस इतनी गारंटी दें कि अब काशी मथुरा की बात न होगी, तो एक चर्चक ने 'विक्टिम' खेलने के लिए उसी की 'ठुकाई' कर डाली!

एक अंग्रेजी एंकर 'राम लला' को 'राम लल्ला' कहती रही एक 'राम लाला' कहते रहे, लेकिन इस बार किसी भी भक्त ने इनके गलत उच्चारण पर एतराज न किया। इस फैसले ने बहुत से 'वीर योद्धाओं' को 'उदार' बना दिया था!

अगर दो मित्र दल अचानक शत्रु बन जाएं तो ट्विटर के जरिए और फिर टीवी के जरिए ही एक-दूसरे से बात कर अपनी अपने चुनाव क्षेत्र को संबोधित करते रहते हैं। महाराष्ट्र में शिवेसना ने यही किया। ऐसा कोई दिन न गया, जब शिवसेना के संजय राउत ने भाजपा की फिफ्टी फिफ्टी की वादाखिलाफी के लिए धिक्कारा न हो और भाजपा को भी सफाई न देनी पड़ी हो। जो दल कल तक आपस में एक साथ थे, सत्ता की खातिर उनमें 'अबोला' हो गया। बारह-तेरह दिन वे ट्विटर और टीवी के जरिए अपनी-अपनी राजनीतिक लाइनें पेलते रहे। एक कहता कि यह जनादेश का अपमान है, तो दूसरा कहता कि महाराष्ट्र की जनता शिवसेना का सीएम चाहती है। भाजपा के ऐन सामने सत्ता की थाली छिनी जा रही है, इसे लेकर कुछ विरोधी चर्चक खुश नजर आते रहे।

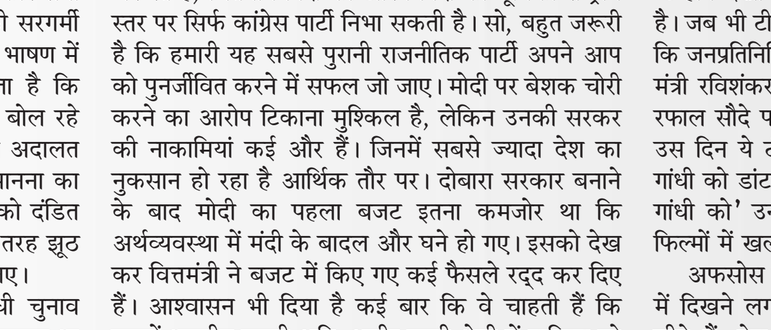

बाखबर

■ सुधीश पचौरी

> अगर दो मित्र दल अचानक शत्रु बन जाएं तो ट्विटर के जरिए और फिर टीवी के जरिए ही एक-दूसरे से बात कर अपनी अपने चुनाव क्षेत्र को संबोधित करते रहते हैं। महाराष्ट्र में शिवेसना ने यही किया।

सबसे बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले बनाते हैं। एक ही दिन में दो दो बड़े फैसले। एक में रफाल पुनर्विचार याचिका में राहुल को फटकार और चेतावनी मिली। दूसरा फैसला सबरीमला को लेकर रहा, जिसे लेकर कुछ चर्चकों में तो जम कर तू तू मैं मैं हुई, लेकिन फैसले को लेकर बहुत हल्ला न हुआ।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी खबर अपने को 'सूचनाधिकार' के दायरे में लाकर बनाई। ज्यों ही ऐसी खबर आई त्यों ही सभी एंकर और चर्चक 'पारदर्शिता की जय हो' 'पारदर्शिता की जय हो' गाने लगे। कुछ चर्चकों ने कहा कि अब अन्य जगहों में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस तरह की पारदर्शिता के कायल किसी भी एंकर ने यह जोर देकर न कहा कि जहां सूचनाधिकार की कोई गति नहीं है, वहां भी क्या कभी इस तरह की 'पारदर्शिता की जय' होगी?

जेएनयू में 'आजादी' के नारे के वीडियो कई चैनलों पर दिखे। विवेकानंद की मूर्ति को विद्रूपित करने के सीन भी दिखे। एक कामरेड बोला कि यह वीडियो नकली है दूसरा चर्चक बोला कि बिना जांच के कैसे तय कर लिया कि नकली है? जेएनयू-कांड अभी जमेगा!